हिंदी आशुलिपि परीक्षा–जुलाई, 2014

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना, परीक्षा स्कंध

प्रश्न-पत्र–द्वितीय

बैच-II

डिक्टेशन का समय : 5 मिनट | पूर्णांक : 100

लिप्यंतरण का समय : 50 मिनट | (गति : 100 श.प्र.मि.)

आदरणीय महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा का अधिकार कानून पर बोलने का अवसर दिया है । मुझ से पहले / कई माननीय सदस्य इस कानून के बारे में अपने विचार रख चुके हैं । हालांकि उन सभी ने इसके बारे में काफी कुछ कहा, लेकिन // कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जिनपर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है । जैसा की आप सभी इस बात से अवगत हैं कि /// आजादी के इतने वर्ष बाद आज भी हमारे देश में लाखों-करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते । इसीलिए
(1) छह से चौदह × साल तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार की ओर से यह कानून लाया गया था । लेकिन इस महत्वपूर्ण कानून को / अमल में लाने के लिए जितनी गंभीरता की जरूरत है, जितने धन की जरूरत है, उसकी कमी साफ तौर पर प्रकट हो चुकी है । // यही कारण है कि यह कानून भी अभी तक आधे-अधूरे ढंग से ही अमल में आ सका है, इस दिशा में फिलहाल बहुत /// कुछ किया जाना
(2) शेष है । यदि इस पर अमल करने में हम इसी गति से आगे बढ़ते हैं तो यह आशा भी नहीं की जा × सकती कि आने वाले एक-दो वर्षों में स्थिति संतोषजनक हो सकेगी । इससे तो एक बार फिर यह स्पष्ट हो रहा है कि / केवल कानून बना देने से न तो किसी समस्या का समाधान होता है और न ही कोई उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है । शायद // यही कारण है कि तीन वर्ष का समय दिए जाने के बावजूद शिक्षा का अधिकार कानून के अमल की तस्वीर बहुत निराश करने वाली है । ///

महोदय, एक अनुमान के अनुसार आज देश भर में 12 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है । यह
(3) विशेष रूप से चिंता की बात × है कि शिक्षा का अधिकार कानून के अमल में कोई भी राज्य पूरी तरह से खरा उतरता नहीं दिखाई दे रहा, सभी राज्य कहीं न / कहीं पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं । इसी का परिणाम है कि एक कानून जो बहुत हद तक देश की तस्वीर को बदल सकता था, // आज सफल होता दिखाई नहीं पड़ रहा है । यह समझना बहुत कठिन है कि शिक्षा और विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा की हालत से परिचित /// होने के बावजूद भी इसके लिए बजट में अधिक राशि की व्यवस्था नहीं की जा रही
(4) है । आज आवश्यकता इस बात की है कि × बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए और अधिक राशि राज्यों को दी जाए । इसके साथ ही साथ इस कानून को लागू करने की दिशा / में तत्परता से ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इसका लाभ देश को जल्दी से जल्दी मिल सके । अतः यदि हम चाहते हैं कि हमारे // सभी बच्चे पढ़ें-लिखें, वे जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो तो हमें इस कानून को लागू करने में /// दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा । मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून लागू
(5) होते ही साक्षरता का लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो सकेगा । ×

———